कार्यालय, परियोजना निदेशक(पीपीपी), सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर

क्रमांक - 109 दिनांक :- 10/06/2022

श्रीमान उप वन संरक्षक,
अजमेर।

विषय :- वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या **FP/RJ/ROAD/21362/2016, एरिया 1.2401 हेक्टे. (अराई-सरवाड सड़क)** एंव FP/RJ/ROAD/21332/2016, एरिया 4.9696 हेक्टे., (ब्यावर-मसूदा-गोयला सड़क) के विकास कार्य के बदले ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन के खसरा न. 754, रकबा 19.440 हेक्टेयर में से 6.25 हेक्टेयर भूमि (दोनों सड़कों हेतु) वन विभाग के नाम आरक्षित बाबत।

संदर्भ :- 1. आपका पत्रांक एफ14 ()एफसीए/उवसं/2021-22/5982, दिनांक 27/08/2021
2. जिला कलक्टर अजमेर का आदेशांक एफ12(सी)कअ/राजस्व/2022/185, दिनांक 18/05/2022
3. वन विभाग के नाम 6.25 हेक्टेयर भूमि का आवंटन की जमाबंदी व खसरा मैप

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन हैं की संदर्भित पत्र 1 (प्रति संलग्न) द्वारा आपने श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पूर्व में वन विभाग को ग्राम कानाखेडा, तहसील मसूदा में आवंटित 6.25 हेक्टेयर भूमि को वन प्रबन्धन एंव साधारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाया था तथा प्रस्तावित प्रकरणों के बदले गैर वन भूमि का आरक्षण किसी अन्य स्थान पर चाहा गया था। उक्त के क्रम में श्रीमान जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा अपने संदर्भित आदेश 2 (प्रति संलग्न) द्वारा उक्त दोनों प्रकरण में ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन के खसरा न. 754, रकबा 19.440 हेक्टेयर में से 6.25 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम आरक्षण बाबत आदेश प्रदान किये हैं तथा दिनांक 09/06/2022 को उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम इन्द्राज तथा नक्शा ट्रेस में तरमीन कर दिया गया हैं (प्रति संलग्न)।

इस कार्यालय द्वारा उक्त अराई-सरवाड सड़क के Map, showing digital identified compensatory afforestation land with coordinates (NFL) तैयार कर परिवेश पोर्टल पर upload कर दिए गए हैं।

अंत: आपसे निवेदन हैं की उक्त प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही कर अग्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राजेंद्र कुमार माहेश्वरी)
परियोजना निदेशक (पीपीपी),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।

क्रमांक :- दिनांक :- /06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पीपीपी), सानिवि, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान ज़िला कलेक्टर, अजमेर।

परियोजना निदेशक (पीपीपी),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।

Address: - PWD Campus, Todarmal Marg, Ajmer-305001 *e-mail: pdpppajmer@rajasthan.gov.in*

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक/एफ. 12 (सी)/कअ/राजस्व/2022/ 185. दिनांक :- 18/05/2022

:- आदेश -:

ब्यावर-मसूदा-गोयला-सडक एवं अरॉई -सरवाड़ सडक विकास हेतु उपयोग में आ रही वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु,इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व/2021/107 दिनांक 22.03.2021 से ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा के खसरा नं 1226 रकबा 17.434 हैक्टेयर भूमि में से 06.25 है0 भूमि वन आरक्षण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधान अनुसार आरक्षित की गई थी।

उपवन संरक्षक अजमेर के पत्रांक 5932 दिनांक 27.08.2021से उपरोक्तानुसार ग्राम कानाखेड़ा के खसरा नं 1226 मे से आरक्षित गैर वन भूमि को वन प्रबंधन एवं साधारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही होना अवगत कराते हुए किसी अन्य भूमि का आरक्षण किये जाने मांग की गई।

उक्त पत्र दिनांक 27.08.2021 के क्रम में इस कार्यालय में संधारित चयनित लैण्ड बैंक में से उपयुक्त भूमि के चिन्हिकरण करने बावत् इस कार्यालय में दिनांक 09.10.2021 को आयोजित बैठक में उपस्थित वन विभाग के अधिकारी गण को अवगत कराया गया, उक्त लैण्ड बैंक बावत् अपेक्षित प्रतिवेदन वन विभाग के स्तर से लंबित रहने के कारण प्रकरण के निस्तारण हेतु अधिकारिक स्तर पर विचार विमर्श उपरांत ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसॉगन में उल्लेखित प्रयोजनार्थ गैर-वन भूमि चिन्हित करने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 28.04.2022 से संयुक्त कमेटी का गठन किया गया, इस कमेटी द्वारा ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन के खसरा नं. 754 सवाईचक भूमि को वन भूमि से लगता हुआ तथा पौधारोपण एवं वन विभाग हेतु उपयुक्त होना अवगत कराया गया है।

इस बावत् उपखण्ड अधिकारी पीसॉगन के द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार की अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसॉगन के खसरा नं 754 किस्म बा-3 रकबा 19.44 है0 भूमि को वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु आरक्षणं किये जाने बाबत् प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रतिवेदनों के आधार पर निम्नानुसार आदेश एतदद्वारा प्रदान किये जाते है:-

1. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.12 (सी)/कअ/राजस्व /2021/107 दिनांक 22.03.2021 से आरक्षित ग्राम कानाखेड़ा तहसील मसूदा के खसरा नं 1226 रकबा 17.434 हैक्टेयर भूमि में से 06.25 है0 भूमि को वन विभाग द्वारा अनुपयुक्त बताये जाने के कारण अनारक्षित कर सवाईचक खाते में दर्ज किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रदान किये जाते है।
2. ब्यावर-मसूदा-गोयला-सडक एवं अरॉई -सरवाड़ सडक विकास हेतु उपयोग में आ रही वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु, गैर-वन भूमि के आरक्षण बाबत् इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 28.04.2022 से गठित सयुंक्त कमेटी की रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी पीसॉगन के द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार की अनुशंषा सहित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसॉगन के खसरा नं 754 किस्म बा-3 रकबा 19.44 है0 में से 06.25 है0 भूमि वन आरक्षण हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधान अनुसार नीचे अंकित शर्तो के अध्यधीन आरक्षित करने के एतद् द्वारा आदेश प्रदान किये जाते है।

शर्ते :-

1. आरक्षित भूमि का उपयोग दृढ़तापूर्वक उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित की गई है।
2. आरक्षित भूमि बाबत् राज्य सरकार के नियम/अधिसूचना/परिपत्रो की पूर्ण पालना की जायेगी।

आरक्षित भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

संलग्न : नक्शा ट्रेस -1

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक :- सग/2022/ 8075-81. दिनांक :-18 मई 2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपवन संरक्षक अजमेर।
2. परियोजना निदेशक (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
3. उपखण्ड अधिकारी मसूदा/पीसॉगन।
4. तहसीलदार मसूदा/पीसॉगन को प्रेषित कर लेख है कि नियमान्तर्गत राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज एवं राजस्व नक्शा ट्रेस से तरमीम की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। *तहसीलदार पीसांगन के यह भी सूचित किया जाता है कि उक्तानुसार आरक्षण उपरांत शेष भूमि लैण्ड बैंक के रूप में संचित रखी गई है, भविष्य में वन भूमि के प्रत्यर्पण हेतु, गैर-वन भूमि का आरक्षण आवश्यकतानुसार उक्त संचित भूमि में से किया जायेगा।*
5. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अति.जिला कलक्टर (प्रशा.),एवं
प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा,
कलक्ट्रेट अजमेर

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- सवाईपुरा
पटवार हल्का :- भगवानपुरा
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- पीचौलिया
तहसील :- पीसाँगन
जिला :- अजमेर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 261
खाता संख्या पुराना :- 1

जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी

काश्तकार का नाम :-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण वन विभाग के अधीन भूमि,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक	टिप्पणी
821/754	6.2500	बारानी 3	6.2500	18.75		स्वीकृत नामांतरकरण : 595 09/06/2022 आवंटन	
कुल खसरे -1	**6.2500**			**18.7500**			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - m
प्रतिलिपि सं. - 17722
आई.पी. - 157.38.237.72
नक़ल जारी करने का स्थान - पीसाँगन

पता - m
शुल्क - 10 Rs/-
दिनाँक व समय -09/Jun/2022 03:37:00 PM

(आर.के. माहेश्वरी)
परियोजना निदेशक पी पी पी
सा.नि.वि., अजमेर

यू.एस.एन - 1158138032615951
http://apnakhata.raj.nic.in/qr.aspx?usn=1158138032615951

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - MANZOOR ALI
पद - तहसीलदार
हस्ताक्षर दिनाँक व समय - 09/Jun/2022 03:35:00 PM

Scanned with CamScanner

खेतवार
- सवाईपुरा
तह. → पीसांगन
जिला → अजमेर (राज.)
सन् - १९८१-८२
पै. - १ सेमी. = १० मीटर

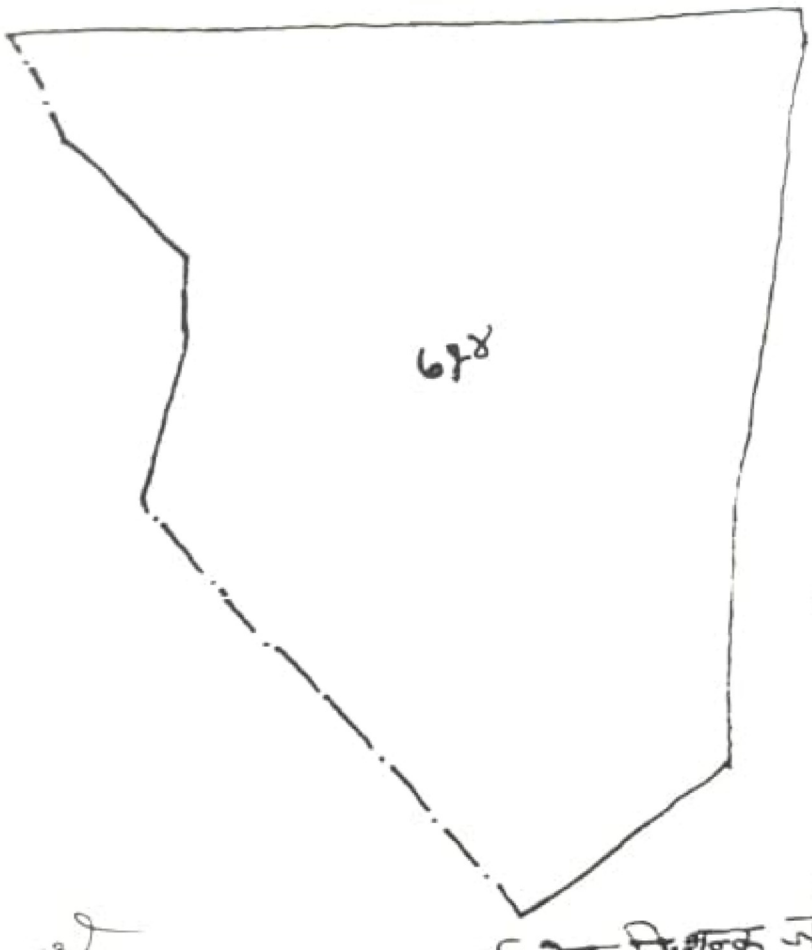

राजकार्य हेतु निःशुल्क जारी।

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन

पटवारी

	राजस्थान सरकार	NIC-BHUNAKSHA
	खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)	दिनांक : 09/06/2022 03:43:23 PM
जिला :अजमेर	तहसील : पीसाँगन	भू. अ. नि. क्षेत्र :पीचौलिया
पटवारी हल्का :भगवानपुरा	ग्राम : सवाईपुरा	

खसरा संख्या :821/754 क्षेत्रफल : 6.2500 Hectare खाता संख्या : 261 पुराना खाता संख्या : 1
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 3 [6.2500, 18.75]
1.) वन विभाग हिस्सा- पूर्ण वन विभाग के अधीन भूमि

सक्षम अधि... अपना ... केन्द्र से जारी एवं सत्यापित प्रति”

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

हस्ताक्षर - ... आर.सी. पटवारी
तहसील - पीसांगन

9/6/22

(आर.के. महेश्वरी)
परियोजना निदेशक पी पी पी
सा.नि.वि., अजमेर

Scanned with CamScanner

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF IDENTIFIED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATE (NFL)

Project Name : Development of Arain-Sarwad Highway, Section of SH-7E, from existing km 44.300 to km 0.000, in the State of Rajasthan

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/21362/2016, Forest land Proposed for Diversion : 1.2401 ha,

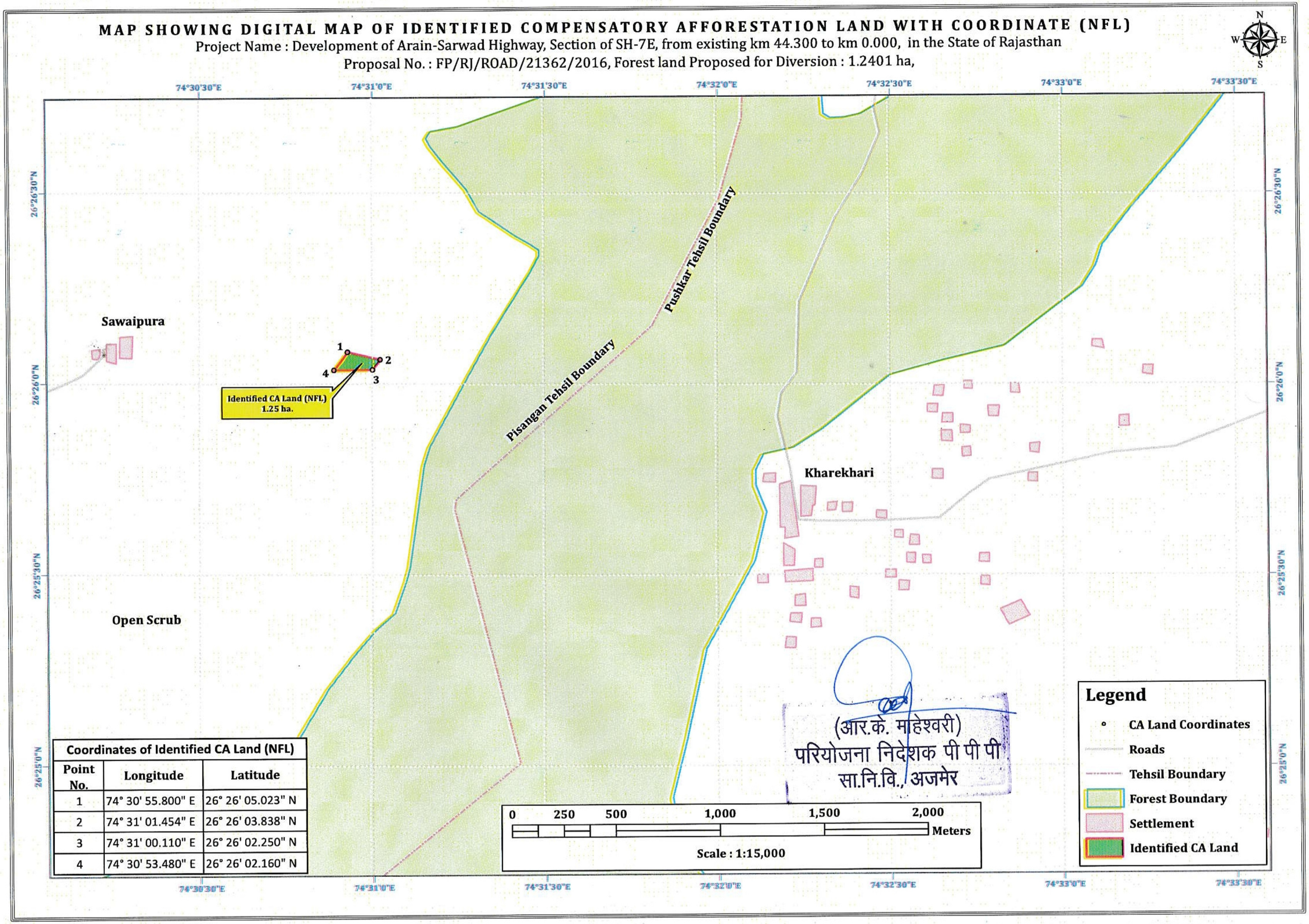

Coordinates of Identified CA Land (NFL)

Point No.	Longitude	Latitude
1	74° 30' 55.800" E	26° 26' 05.023" N
2	74° 31' 01.454" E	26° 26' 03.838" N
3	74° 31' 00.110" E	26° 26' 02.250" N
4	74° 30' 53.480" E	26° 26' 02.160" N

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF IDENTIFIED COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATE (NFL)

Project Name : Development of Arain-Sarwad Highway, Section of SH-7E, from existing km 44.300 to km 0.000, in the State of Rajasthan

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/21362/2016, Forest land Proposed for Diversion : 1.2401 ha,

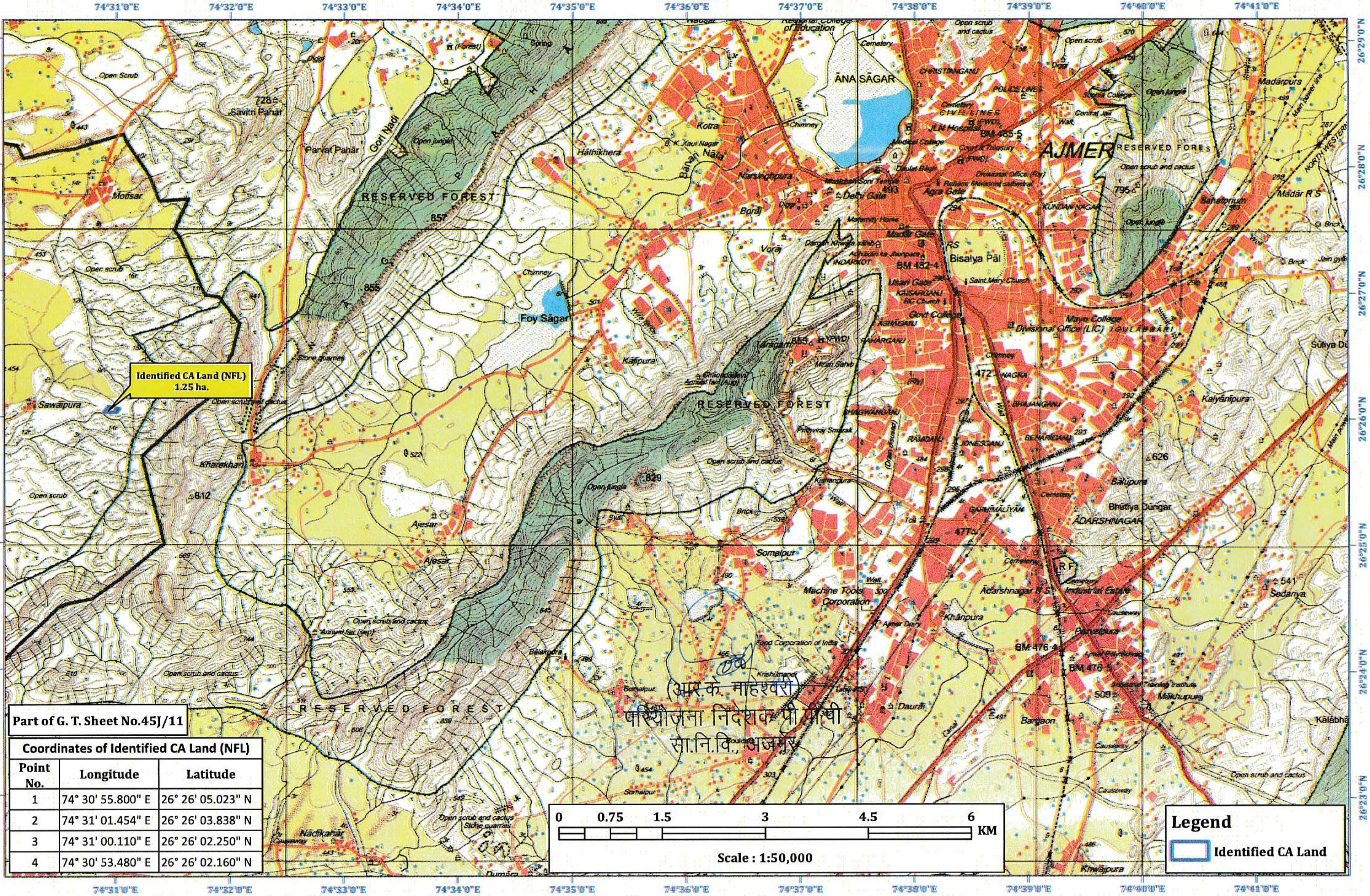

Point No.	Longitude	Latitude
1	74° 30' 55.800" E	26° 26' 05.023" N
2	74° 31' 01.454" E	26° 26' 03.838" N
3	74° 31' 00.110" E	26° 26' 02.250" N
4	74° 30' 53.480" E	26° 26' 02.160" N

Coordinates of Identified CA Land (NFL)

0 0.75 1.5 3 4.5 6 KM

Scale : 1:50,000

Legend

Identified CA Land